53

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक सी. 5—1—2013—1—3 भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः—कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थाई कर्मी में विनियमित करने की योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में।

सन्दर्भः—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 5—1/2013/1/3, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

—

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 की कण्डिका 1.3 में ये निर्देश दिये हैं कि **"वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षो के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनवृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा"**।

2— दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग में किए गए वेतन निर्धारण में भिन्नता समक्ष में आई है। वेतन निर्धारण के लिए अकुशल श्रेणी में रहने पर संबंधित कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के आधार पर अकुशल हेतु निर्धारित वेतनमान में ही वेतन वृद्धियॉं प्राप्त होना चाहिए एवं तद्उपरांत कुशल श्रेणी में आए कर्मचारी को वेतन वृद्धियां की राशि का लाभ कुशल श्रेणी की सेवा अवधि अनुसार होना चाहिए।

3— उपर्युक्त विसंगतिपूर्ण स्थिति अन्य विभागों में भी हो सकती है। यदि कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कुछ—कुछ अवधि अकुशल में, अर्द्धकुशल में तथा कुशल श्रेणी में रहता है तब उसके द्वारा जिस श्रेणी में जितनी सेवा अवधि पूर्ण की गई है उतनी अवधि के लिए उसी वेतनमान में वेतनवृद्धि की पात्रता होगी, जिसे निम्नांकित उदाहरणों से समझा जा सकता है:—

(1)नियुक्ति तिथि 01.9.1996 से 01.9.2006 तक 10वर्ष X 80=800
(अकुशल श्रेणी में वेतनमान 4000—80—7000)

01.9.1996 को न्यूनतम वेतन	—	4000
10 वर्ष की वेतन वृद्धि	—	800
		4800

(2)नियुक्ति तिथि 01.9.2006 से 01.9.2016 तक 4860(4800 की आगामी स्टेज)
(अर्द्धकुशल श्रेणी में वेतनमान 4500—90—7500)

01.9.2006 को न्यूनतम वेतन	—	4860
10 वर्ष की वेतन वृद्धि	—	900
		5760

(3) कुशल श्रेणी की स्थिति में दि0 01.9.2016 को 5800(5760 की आगामी स्टेज)
(कुशल श्रेणी में वेतनमान 5000—100—8000)

01.9.2016 को देय वेतन	—	5800
स्वीकृत वेतन वृद्धि दिनांक 01.9.2017	—	5900/—वेतन देय होगा।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
मध्य पद्रेश शासन
सामान्य प्रशासन.विभाग

पृष्ठां0 क0.सी, 5—1—2013—1—3 भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः—

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन मध्यप्रदेश, भोपाल
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
(3) माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
(4) महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
(5) प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
(6) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
(7) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश, भोपाल
(8) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
(9) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यपदेश, जबलपुर।
(10) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
(11) सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
(12) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।

(13) महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर।
(14) प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
(15) आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
(18) अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण / अभिलेख / पुस्तकालय मंत्रालय, भोपाल
(17) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी0बी0 पड़वार)
उप सचिव
मध्य पद्रेश शासन
सामान्य प्रशासन.विभाग